राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

...

:: <u>नि र्ण य</u> ::

भंवरदास ब ना म सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम)
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

एकल पीठ सिविल विविध अपील सं**. 1588/2006**

कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, चित्तौड़गढ द्वारा प्रकरण सं. डब्लू सी.सी. 4/2005 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 28.07,2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निर्णय दिनांक :::: 29 मार्च, 2007

<u>उपस्थित</u>

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री माणक मोहता</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मनीष पितलिया।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री मनोज भण्डारी।

<u>न्यायालय द्वारा</u> :

प्रार्थी - अपीलार्थी की ओर से कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, चित्तौड़गढ द्वारा प्रकरण सं. डब्लू सी.सी. 4/2005 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 28.07,2005 के विरूद्ध मौजूदा अपील अन्तर्गत धारा 30

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (जिसे आगे ' अधिनियम ' से सम्बोधित किया जावेगा) के तहत प्रस्तुत की गई हैं,जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं-

प्रार्थी - अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के अनुसार वह अप्रार्थी-प्रत्यर्थी सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ के नियोजन में कार्यरत होने का उल्लेख करते हुये दिनांक 27.5.2004 को गांव में बिजली के तार टूट जाने पर एल.टी लाईन ठीक करते हुवे अर्थवायर का पोइन्ट लगा रहा था कि अचानक तार टूटकर प्रार्थी-अपीलार्थी के आंख में घुस गया, जिससे आंख गम्भीर रूप से चोटग्रस्त होकर बाहर निकल गयी और आंख से खून निकलने लगा। ईलाज के उपरान्त भी दांयी आंख से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और इस प्रकार प्रार्थी - अपीलार्थी के स्थायी रूप से विक्लांग होने का उल्लेख किया। प्रार्थना पत्र में आगे वर्णित किया कि उसके द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 22 (2) के तहत योग्य कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रार्थी का नियोजन में रहना एसम् उस दौरान दुर्घटना होना स्वीकार किया, साथ ही दुर्घटना से 35 प्रतिशत अर्जन शक्ति का ही ह्रास होने का उजर किया। क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने एवम् जमा कराने में विभागीय स्तर पर समय लगने का उजर करते हुवे मौजूदा प्रार्थना पत्र बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों पर प्रस्तुत किया हुआ होना बताकर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान् कामगार आयुक्त ने दोनों पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर देते हुवे बाद सुनवाई आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे दिनांक

28.7.2005 को निर्णय दिया, उक्त निर्णय में बतौर क्षतिपूर्ति रूपये 134232/- निर्धारित की एवम् उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के रोज दिनांक 8.12.2004 से रकम जमा कराने के रोज तक दिनांक 21.6.2005 तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज के रूप में रूपये 3640/- तीस दिन में जमा कराने का आदेश दिया। दुर्घटना की सूचना हो जाने के बाद भी रकम समय पर जमा नहीं कराने के परिणामस्वरूप पेनल्टी राशि के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया। प्रार्थी- अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देते हुये क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाये जाने एवं क्षतिपूर्ति की राशि समय पर जमा नहीं कराये जाने से शास्ति व दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिकी की दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु मौजूदा अपील प्रस्तुत की गई हैं, जिसका नोटिस अप्रार्थी- प्रत्यर्थी पक्ष को दिया गया।

दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित योग्य अधिवकता ने निवेदन किया कि स्वीकृत रूप से प्रार्थी-अपीलार्थी के अप्रार्थी-प्रत्यर्थी के नियोजन में रहते हुवे उसमें निहित कार्य का निर्वहन करते हुवे दुर्घटना घटित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी अपीलार्थी की आंख स्थाई रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी अर्जन शक्ति का शत प्रतिशत नुकसान हुआ हैं, जिसकी सूचना नियोजक को उसी समय हो चुकी थी। प्रार्थी-अपीलार्थी पक्ष की ओर से उजर किया गया कि शरीर का आंख जैसा हिस्सा स्थाई रूप से चले जाने से जो क्षति हुई हैं उसे देखते हुवे क्षतिपूर्ति की राशि पर्याप्त नहीं दिलाई गई हैं जो वाजिब तय की जाकर दिलाई जावे

साथ ही योग्य कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने यह पाते हुवे कि उक्त राशि नियोजक द्वारा समय पर जमा नहीं कराई गई फिर भी शास्ति के रूप में क्षतिपूर्ति की आधी राशि तय की जाकर दिलानी चाहिये थी, जो नहीं दिलाई गई हैं, इस प्रकार अहम कानूनी त्रुटि की हैं। अप्रार्थी-प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क कि प्रशासनिक व्यस्तता की वजह से समय पर राशि जमा नहीं कराई जा सकी, तर्क चलने योग्य नहीं रहते। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि देय होने के एक माह में जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बंधित पक्ष की विधि में रहती हैं जो स्वीकृत रूप से समय पर जमा नहीं हुई हैं लेकिन कामगार आयुक्त ने उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के रोज से 6 प्रतिशत वार्षिकी से ब्याज दिलाया, जो विधि सम्मत नहीं हैं। ब्याज की तयशुदा 12 प्रतिशत की दर से दुर्घटना के रोज से ब्याज दिलाया जावे। अत: अपील मंजूर कर चाहे गये अनुतोष प्रदान करने के लिये निवेदन किया एवम् मौजूदा कामगार आयुक्त का निर्णय एवं आज्ञप्ति संशोधित कर दुररूत किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी- प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने इन तर्को का खण्डन किया एवम् शास्ति न दिलाये जाने का एवम् दिलाये गये ब्याज के आदेश का समर्थन किया। यह भी निवेदन किया कि क्षतिपूर्ति की राशि एक माह में जमा नहीं कराये जाने के आधार जो उनकी ओर से रखे हैं, वे सदभाविक हैं, जिन्हें योग्य कामगार आयुक्त ने सही प्रकार से विचार करते हुवे स्वीकार किया हैं। इसी प्रकार ब्याज दुर्घटना के रोज से ही दिलाया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. बनाम मुबाशीर अहमद एवं अन्य (2007) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज, 349 पेश कर ब्याज क्षतिपूर्ति निर्धारण के रोज से

दिलाये जाने के तर्क पर बल दिया एवम् कलेक्टर भूमि अवासि, अन्नतनाग एवं अन्य बनाम मु.कटीजी एवं अन्य ए.आई. आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट, 1353 में अभिनिर्णित किये मतों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवम् अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों के तर्को पर गहराई से विचार किया एवम् योग्य कामगार क्षतिपूर्ति, आयुक्त के निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी-अपीलार्थी ने अपना क्लेम योग्य कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त के यहां अपनी एक दांई आंख के पूर्ण रूप से क्षति होने के आधार पर प्रस्तुत किया हैं, समर्थन में योग्य डॉ. द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया हैं, उसे देखते हुवे क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 134232/- दिलाई गई हैं, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने के कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये हैं। अत: क्षतिपूर्ति की राशि यथावत रखी जाती हैं। योग्य कामगार आयुक्त ने अप्रार्थी-प्रत्यर्थी पक्ष की प्रशासनिक व्यस्तता को देखते हुवे शास्ति नहीं दिलाने का जो निष्कर्ष निकाला हैं वह ठोस प्रतीत नहीं होता। प्रकरण में विवेचित किये गये तथ्यों को देखते हुवे क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु विभागीय स्तर पर दिनांक 21.10.2004 के बाद कार्यवाही शुरू की हैं एवम् क्षतिपूर्ति की राशि दिनांक 21.6.2005 को दुर्घटना के करीब एक साल बाद जमा कराई हैं जबकि दुर्घटना दिनांक 27.5.2004 को हुई होना और उसकी जानकारी उसी समय होना माने जाने योग्य रहता हैं। अत: दुर्घटना के रोज से करीब एक साल से भी अधिक समय बाद रकम जमा कराने मे हुई देरी को देखते हुवे प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से बतलाये गये कारण उचित प्रतीत नहीं होते अत: प्रार्थी-अपीलार्थी शास्ति पाने का अधिकारी रहता हैं। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी-प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उठाये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं रहते। इस

सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त कलेक्टर भूमि अवाप्ति, अन्नतनाग एवं अन्य बनाम मु. कटीजी एवं अन्य ए.आई. आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट, 1353 भूमि अवाप्ति से समबंधित होने से भिन्न परिस्थितियों पर होने से अप्रार्थी-प्रत्यर्थी पक्षकथन को कोई मदद नहीं करता। फलस्वरूप इस हद तक योग्य कामगार आयुक्त ने जो निष्कर्ष निकाला हैं, वह यथावत रखे जाने योग्य नहीं रहता, उसे अपास्त किया जाता हैं एवम् कामगार अधिनियम की धारा 4 ए (3) (b) के तहत क्षति की आधी राशि प्रार्थी- अपीलार्थी पाने का अधिकारी माना जाता हैं, जो रूपये 67,116/- होते हैं। प्रार्थी- अपीलार्थी द्वारा ब्याज के सम्बन्ध में भी उजर उठाये गये हैं। जहां तक ब्याज दुर्घटना के रोज से दिलाये जाने का सम्बन्ध है, ऐसा प्रावधान नियमों में नहीं हैं अत: योग्य कामगार आयुक्त ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के रोज से दिलाया है, उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने से यथावत रखा जाता हैं लेकिन ब्याज की दर 6 प्रतिशत निर्धारित की हैं जो उक्त अधिनियम 4 ए (3) (a) के अनुरूप नहीं होने से एवम् 6 प्रतिशत वार्षिकी से ब्याज दिलाने का न्यायोचित आधार नहीं दर्शाया हुआ होने से ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से उक्त अवधि का दिलाया जाना चाहिये था अत: इस हद तक योग्य कामगार आयुक्त का निर्णय अपास्त किया जाता हैं एवम् तयशुदा राशि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के रोज से रकम जमा कराने के रोज दिनांक 21.6.2005 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ब्याज प्रार्थी-अपीलार्थी पाने का अधिकारी हैं, जो रूपये 7280/- होते हैं। अप्रार्थी-प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. बनाम मुबाशीर अहमद एवं अन्य (2007) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज, 349 से भी इस निष्कर्ष को समर्थन मिलता हैं।

अत: उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे क्षतिपूर्ति की निर्धारित राशि 134232/- यथावत रखते हुवे शेष निर्णय इस प्रकार संशोधित किया जाता हैं कि उक्त क्षतिपूर्ति की राशि समय पर जमा नहीं कराने के आधार पर शास्ति के रूप में रूपये 67116/- एवम् क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्याज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के रोज 8.12.2004 से रकम जमा के रोज 21.6.2005 तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से रूपये 7280/- अतिरिक्त रूप में प्रार्थी- अपीलार्थी पाने का अधिकारी है, जो दिलाये जाते है, दो माह में अप्रार्थी- प्रत्यर्थी अदा करे अन्यथा वसूली कार्यवाही की जा सकेगी।

(माणक मोहता)
न्यायाधिपति